दि0 27.06.2015 को मुख्य सचिव कक्ष, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्री एन0 रविशंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की नवम बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. डॉ0 रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री
4. श्री अनिल कुमार दत्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री
5. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री जयराज, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य–सं॰ समिति, उ॰ कैम्पा।
7. श्री डी0वी0एस0 खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री मोनिष मल्लिक, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–सं.समिति, उ.कैम्पा।
9. श्री परमजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये संचालन समिति (Steering Committee) की नवम बैठक में सर्वप्रथम कैम्पा के कार्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया एवं विस्तृत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

N. Ravi Shankar

कार्यसूची संचालन समिति 9.1: संचालन समिति की अष्ठम बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या:–

सभी सदस्यों द्वारा गत अष्ठम बैठक की संचालन समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संचालन समिति 9.2: कैम्पा निधि के अंतर्गत संशोधित APO 2014–15 के सापेक्ष प्रगति का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 127.93 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी, जिसकी वित्तीय प्रगति ₹ 112.57 करोड़ (87.99 %) है। अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्य पूर्ण करने एवं किये गये वनीकरण की उत्तरजीविता प्रतिशत बढ़ाने एवं वनों की अग्नि से सुरक्षा पर विशेष निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को आगामी पांच वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची संचालन समिति 9.3: कैम्पा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 का अनुमोदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा निधि की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015–16 हेतु ₹ 151.21 लाख की धनराशि के वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया था परन्तु मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को दिये गये निर्देशों के क्रम में अत्यावश्यक अग्नि सुरक्षा व मानव वन्यजीव संघर्ष के लिये वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान करने के निर्देशों के क्रम में वर्तमान वार्षिक कार्ययोजना कुल ₹ 17652.19 लाख का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अभिमत दिया गया कि गत वर्ष में वन पंचायत की कार्ययोजना की धनराशि लगभग ₹ 15.00 करोड़ थी जबकि वर्तमान में वन पंचायतों की संख्या लगभग 12 हजार है, वन पंचायत कार्यों हेतु धनराशि मात्र कैम्पा निधि से ही की जाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा वन पंचायत कार्ययोजना की धनराशि को बढ़ाकर ₹ 18.00 करोड़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गया। तद्नुसार संचालन समिति द्वारा ₹ 18528.24 लाख की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

N. Ravi Shankar

(लाख ₹ में)

1. एन0पी0वी. घटक	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य	5. कैट प्लान	कुल योग
13054.95	2806.97	117.14	535.00	2014.18	18528.24

संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2015--16 का जोनवार घटकवार, उपघटकवार विवरण निम्नानुसार है:--

घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमाऊं जोन	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	वन्य जीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचा.	अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	अन्य स्तर **	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	प्रमुख वन संरक्षक परियोजना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.NPV												
Fire Arms and ammunition											250.00	250.00
Mess/Dresses for field staff											200.00	200.00
Stone /concrete Wall	101.26	365.04	2340.25	158.03								2964.58
Man Animal Conflict Mitigation and Response Team (Vet. training)				130.00								130.00
Creation/Rejuvenation of water	301.30	244.20	40.00	52.80								638.30
Soil & Water Conservation	198.50	311.75	50.00	192.00								752.25
Lantana removal and development of grasslands	72.85	118.79	10.00	38.48	199.94							440.06
Oak/Deodar plantation	362.64	90.73		66.05								519.42
Monitoring & Evaluation									130.00		0.00	130.00
Benevolent Fund											672.00	672.00
Van Mitra Operation											10.00	10.00
Youth Movement											100.00	100.00
Library/Museum at UoU											30.00	30.00
Strengtheing of Van Panchayat				0.00	1600.06							1600.06
Forestry Research							97.27					97.27
Plantations (13th finance)	254.51	439.68		5.70				300.11				1000.00
Green India Misson and PMU Support										50.00		50.00
Training for Disaster management											28.00	28.00
First Respondent Trg. With											25.00	25.00

N. Ravi Shanker

108.												
Sahtarang upgradation skill Trg.											25.00	25.00
Solar light for Forester's/ Forestguard's chowkis/ residences of remote areas	30.00	30.00										60.00
Contingency								203.44				203.44
Admin Units / Boards							309.19					309.19
Forest Fire Protection	187.00	116.00	10.00	36.00								349.00
	1508.06	1716.19	2450.25	679.06	1800.00	0.00	406.46	503.55	130.00	50.00	1340.0	10583.57
Rest of NPV	350.14	222.18	622.85	884.98	0.00	319.0		0.00	0.00	22.23	50.00	2471.38
TOTAL NPV	1858.20	1938.37	3073.10	1564.04	1800.00	319.0	406.46	503.55	130.00	72.23	1390.0	13054.95
2 CA	1519.68	1173.17		114.11								2806.97
TOTAL CA	1519.68	1173.17	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2806.97
3- PA Ptotected Area												
Gangotri				100.69								100.69
Askot				16.45								16.45
TOTAL PA	0.00	0.00		117.14	0.00	·	0.00	0.00			0.00	117.14
4- Others												
Plantation	316.81	68.19										385.00
Muck Disposal	0.00	0.00	0.00									0.00
River Trg. (Nainital)	0.00	150.00					0.00					150.00
TOTAL OTHERS	316.81	218.19		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	535.00
5- CAT Plan												
TOTAL CAT	1562.51	0.00	0.00	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	2014.18
TOTAL APO 2015-16	5257.19	3329.73	3073.10	2206.96	1800.00	319.0	406.46	503.55	130.00	112.23	1390.0	18528.24

(1) अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय	50.00
(2) अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना	20.00
(3) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्	36.00
(4) उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड	11.03
(5) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी	87.16
(6) मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म	20.00
(7) मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार	35.00
(8) मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी	50.00
(9) सिल्वा (पर्वतीय क्षेत्र)	40.00
(10) सिल्वा (साल क्षेत्र)	57.27
योग	406.46

(कार्यवाही—प्रमुख वन संरक्षक—उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक—वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक—वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक—परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक—गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

N. Ravi Shankar

कार्यसूची संचालन समिति 9.4: कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय का प्रबन्धन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न मदों में ₹ 348.24 लाख का संचालन व्यय हेतु प्रस्तुत बजट को संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मदवार विवरण निम्नानुसार है:–

CAMPA Management Office Expenses				Amount in Rs..
Activity Head				Amount
A.	Management and Operational Expenses			
	1	Salary and Allowances- all staff		99,36,000.00
		Consultancies for various Technical Assist.		300,000.00
	Sub Total			10236000.00
	2	Operational and Maintenance		
		2.1	Fuel and Maintenance of Vehicle	600,000.00
		2.2	Equipment and Maint./Office building Maint.	360,000.00
		2.3	Vehicle Hiring Charges	375,000.00
	Sub Total			1,335,000.00
	3	Utility Expenses		
		3.1	Telephone, Mobile & Net data card Expenses	300,000.00
		3.2	Electricity Expenses	180,000.00
		3.3	Water Expenses	15,000.00
	Sub Total			495,000.00
	4	Operating Expenses		
		4.1	Travelling and Local Conveyance	600,000.00
		4.2	Printing and Stationery	180,000.00
		4.3	Books and Periodicals	150,000.00
		4.4	Office/Others Expenses	480,000.00
		4.5	Office Building Rent	540,000.00
		4.6	Postage & Courier	300,000.00
		4.7	Profeestionl charges (Audit Income Tax,Legal etc.)	300,000.00
		4.8	Advertisement	500,000.00
		4.9	Miscellaneous Meetings	500,000.00
	Sub Total			3,550,000.00
	Total A			15,616,000.00
B	Fixed Assets			
	1	Furniture and Fixture		
		1.1	Office Tables	10,000.00
		1.2	Executive/Visitor Chairs	16,000.00
		1.3	Computer Table	14,000.00
		1.4	Computer Chairs	8,000.00
		1.5	Others	150,000.00
	Sub Total			198,000.00
	2	Computers, Hardwar & software		
		2.1	Desktop	120,000.00
		2.2	Laptop	100,000.00
		2.3	UPS	30,000.00
		2.4	Printer	40,000.00

N. Ravi Shanker

		2.5	Softwares	100,000.00
	Sub Total			390,000.00
	3	Office Equipments		570,000.00
		3.1	Fax Machine	20,000.00
		3.2	Digital Camera for documentation	50,000.00
		3.3	Others Equipments (Photo copier machine, AC & etc)	500,000.00
	Sub Total			570,000.00
	Total B			1,158,000.00
C. other expenses				
	1	CUG Plan expenditure for field		6,000,000.00
	2	Purchase for M & E field Vehicles for CCF & above		8,000,000.00
	3	Purchase for M & E field Vehicles for PCCF Project & CAMPA Office		1,650,000.00
	4	Office Maintinance of Nodal office		2,400,000.00
	Total C			18,050,000.00
		Total Budget (A+B+C)		34,824,000.00

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति 9.5: वर्ष 2014–15 का आन्तरिक ऑडिटः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किये गये कार्यो का आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के स्थान पर वन विभाग के आन्तरिक ऑडिट विभाग के सेल द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची संचालन समिति 9.6: वर्ष 2015–16 की लेखा प्रविष्टि को Tally ERP09 में लेखाबद्ध किए जाने के सम्बन्ध में:–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के कार्यो की लेखा प्रविष्टि Tally ERP09 में CA firms के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा उक्त कार्य CA firms के स्थान पर कैम्पा कार्यालय द्वारा ही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणो द्वारा विभिन्न वन पंचायतों को कैम्पा निधि से दी गयी धनराशि का भी कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय का लेखा–जोखा प्रस्तुत नही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरण, कैम्पा निधि से अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोग का मासिक लेखा (क्लासीफाईड एकाउन्ट जैसे ई–2, ई–7, बैंक पासबुक की छाया प्रति इत्यादि) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से कैम्पा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित क्रियान्वयन इकाई

N. Ravi Shankar

को कैम्पा निधि से स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कोई धनराशि अवमुक्त नही की जायेगी। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों तथा कोषागार के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समस्त भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च तक ही लेखा–जोखा दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि उत्तराखण्ड कैम्पा भी वन विभाग का एक अभिन्न अंग है, सम्पूर्ण वन विभाग में एकरूपता लाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के निर्देशों के अनुरूप कैम्पा द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग केवल 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा, इसके उपरान्त अवशेष धनराशि को समर्पित मानते हुए अगले वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा। कोषागार की तरह ही क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किया गया भुगतान दिनांक 31 मार्च, के बाद मान्य नही होगा। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी है।

संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची संचालन समिति 9.7: कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में किए गए कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किए जाने के सम्बन्ध में:–</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में किए गये कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट के माध्यम से कराये जाने की संस्तुति कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान की गयी। इस हेतु कैम्पा में 2% धनराशि का प्राविधान है। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण व मूल्यांकन को प्रथम किश्त के रूप में ₹ 25.00 लाख का आवंटन प्रस्तावित है।

संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण व मूल्यांकन)

<u>कार्यसूची संचालन समिति 9.8: कार्यकारी समिति, संचालन समिति, शासी निकाय के सदस्य सचिव को नामित करना:–</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईनों में कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में नोडल अधिकारी, भूमि हस्तान्तरण, संचालन समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव, वन को नामित किया जाना था। उत्तराखण्ड कैम्पा के लिए जारी अधिसूचना में इन निर्देशों के अनुरूप सदस्य सचिव को नामित न करते हुए कार्यकारी समिति, संचालन समिति व

N. Ravi Shanker

शासी निकाय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को ही सदस्य सचिव के रूप में रखा गया है।

संचालन समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईनों के अनुरूप कार्यकारी समिति, संचालन समिति एवं शासी निकाय के सदस्य सचिव नामित किये जाने हेतु अधिसूचना सं0–1922/X-2-2012-7(6)/2004 टी0सी0 दिनांक 08.11.2012 को संशोधित किये जाने हेतु ~~प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।~~ यथा विधि सभा एवं [illegible] को बनाये रखने हेतु, निर्णय लिया।

(कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड)

N. Ravi Shanker

कार्यसूची संचालन समिति 9.9: राजाजी पार्क की वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु धनराशि के प्राविधान के सम्बन्ध में चर्चा:–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग की विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा हाथी रोधक दीवार ₹ 38.00 लाख प्रति कि.मी. से ₹ 70.00 लाख प्रति कि.मी. की दर प्रस्ताव भेजे गये हैं। इसी प्रकार सूअर रोधी दीवार के प्रस्ताव ₹ 4.00 लाख प्रति कि.मी. से ₹ 20.00 लाख प्रति कि.मी. भी प्राप्त हुये हैं। कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 06.05.2015 को हुई बैठक में सहमति व्यक्त की गयी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु प्रभावी तरीके, यथा कांटा बांस विधि से निर्मित अवरोध, पथरीली दीवार का निर्माण (दीवार की माप व डिजाइन का निर्धारण) सोलर फेंसिंग, खाई खोदने एवं इसके कारण वन्यजीवों/वन सम्पदा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करा लिया जाय एवं इस पर व्यय होने वाली धनराशि का प्राविधान वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके व प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को अपने स्तर से अध्ययन हेतु कार्यवाही करने पत्र लिखे गये हैं।

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 26.07.2014 की कार्यसूची 12.10.7 में उल्लेख है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु ₹ 3070.00 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा NMBA (National Bamboo Mission on Bamboo Applications) से प्राप्त तकनीकी पेपर सभी को संचालित किया गया था। निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क ने अपने पत्रांक–2005/3–3 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अभिमत व्यक्त किया है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में इस विधि से कार्य करना ठीक नही रहेगा तथा केवल हाथी अवरोधक दीवार का निर्माण ही किया जाना चाहिए।

N. Ravi Shanker

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–343/2013 "जंगली जानवरों द्वारा किये जा रहे किसानों की खड़ी फसलों के नुकसान को रोकने के लिये सोलर फेंसिंग की मरम्मत एवं निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी" के अनुक्रम में राजाजी पार्क में हाथी रोधी दीवार (59.775 किमी0 @ ₹60 लाख/कि0मी0) हेतु ₹3586.50 लाख का प्रस्ताव निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क से प्राप्त हुआ है।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क के पत्र पर अंकित किया गया है कि "कैम्पा से धन उपलब्ध करवायें"। इसी क्रम में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के लिये ₹3586.50 लाख (59.775 किमी0 @ ₹60.00 लाख/कि0मी0) का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा इस प्रस्ताव को संस्तुति सहित कैम्पा कार्यालय में भेजा गया है। इस विषय में इंगित करना है कि प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा वन्यजीव की वार्षिक कार्ययोजना में हाथी रोधक दीवार के लिये ₹ 70.00 लाख प्रति कि.मी. की दर से मांग की गई है। मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुरूप राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथी रोधक दीवार के लिये ₹60.00 लाख प्रति कि.मी. की दर से वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान किया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथीरोधी दीवार का निर्माण पूर्व में अनुमोदित मैनेजमेंट प्लान के अनुसार विशिष्ट स्थल पर एवं वर्णित डिजाईन के अनुसार ही किया जाना प्रस्तावित है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वित्तीय एवं नियोजन प्रबन्धन द्वारा दीवार निर्माण को विभागीय स्तर पर न कराकर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा दीवार निर्माण की विभिन्न दरों एवं विभिन्न डिजाईनों को दृष्टिगत रखते हुये दीवार की उपयोगिता का अध्ययन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये समिति को अवगत कराया है कि फिलहाल राजाजी राष्ट्रीय पार्क में चालू वर्ष में 60 कि.मी. लम्बी दीवार निर्माण को पूर्ण कराया जाना सम्भव नही होगा अतः वित्तीय वर्ष में तैयार दीवार की मानव, वन्यजीव संघर्ष को रोकने में उपयोगिता का अध्ययन करा लिया जाय एवं अध्ययन रिपोर्ट पर निर्णय लेकर शेष हाथीरोधी दीवार पर निर्णय लिया जाय।

अध्यक्ष– संचालन समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वन विभाग के अधिकारी इस विषय में एक बैठक कर दीवार निर्माण की लागत, डिजाईन निर्धारण एवं मानव, वन्यजीव संघर्ष को रोकने में उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय लें, ताकि दीवार निर्माण की लागत एवं डिजाईन में यथा सम्भव एकरूपता बनी रहे।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ)

N. Ravi Shankar

कार्यसूची संचालन समिति 9.10: उत्तराखण्ड कैम्पा का रोडमैप तथा सुझावों का आमंत्रणः–

- रिवर ट्रेनिंग एवं मक डिस्पोजल मद में जमा धनराशि एडहॉक कैम्पा से वापस प्राप्त करने के सम्बन्ध में :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा रिवर ट्रेनिंग मद एवं मक डिस्पोजल मद में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2015 तक ₹ 4455.84 लाख की धनराशि उक्त मदों में प्रेषित की जा चुकी है। उक्त धनराशि से किये जाने वाले कार्य प्रति वर्ष कराये जाने आवश्यक हैं, अतः प्रस्ताव है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि को एडहॉक कैम्पा से एकमुश्त धनराशि के तौर पर मांग की जाये एवं तद्नुसार विभिन्न वन प्रभागों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- वन विभाग के कार्मिकों हेतु कैम्पा निधि के अंतर्गत कल्याण कोष की व्यवस्था

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि 10 वर्षीय राज्य कैम्पा परियोजना में एन0पी0वी0 घटक के अंतर्गत वन विभाग के कार्मिकों हेतु ₹ 11.25 करोड़ के कॉरपस फण्ड/कल्याण कोष (फॉरेस्ट वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से) का प्राविधान किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन द्वारा वन विभाग के कार्मिकों हेतु कल्याण कोष की नियमावली तैयार की गई है, जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि निधि का संचालन उत्तराखण्ड कैम्पा की कमेटी द्वारा किया जाय, तथा उक्त कोष का संचालन इस प्रकार से किया जाय कि कोष सत्त रूप से कार्मिकों की आकस्मिकता व अन्य कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध करा सके। वर्ष 2009–2010 से वर्तमान तक कुल ₹ 6.72 करोड़ के कारपस का प्राविधान 2015–16 की कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने का संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दरों के आधार पर भुगतान :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 को संकलित करते हुए संज्ञान में आया है कि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली मजदूरी की दरें पृथक–पृथक हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर

N. Ravishankar.

अधिसूचित मजदूरी दरों से कम हैं। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वन विभाग के विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्ताव तैयार करते समय उत्तराखण्ड सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी दरों के आधार पर ही खर्चों का प्राक्कलन तैयार किया जाये एवं अधिसूचित मजदूरी दरों पर ही भुगतान किये जाने का संचालन समिति द्वारा श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी)

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों में पर्यावरणीय सेवाओं के अंतर्गत जन समर्थन जुटाना तथा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक पर्यावरण सहित सुरक्षा और सुधार के लिए युवाओं व छात्रों के स्वैच्छिक आन्दोलन को बढ़ावा दिए जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट नं0–21 के अध्याय–4 में उल्लेख किया गया है। उक्त हेतु वार्षिक कार्ययोजना में ₹ 100.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराये जाने एवं "स्वच्छ भारत अभियान" गैड संस्था, देहरादून व वेस्ट वारियर्स को भी जोड़े जाने संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के एम0आई0एस0 का इस प्रकार सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित है कि उसमें केवल मुख्य घटकों तथा उनके मात्र एक उपघटक का उल्लेख हो, जिससे कि क्रियान्वयन इकाईयों को यह स्वतन्त्रता प्राप्त हो कि वे अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य सम्पादित करवा कर प्रविष्टि कर सकें। वर्तमान में एम0आई0एस0 सरलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इसमें प्रविष्टियां स्मार्ट फोन के माध्यम से भी की जा सकेंगी।

  संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- **अतिरिक्त पदों के सृजन/फील्ड स्तरीय कार्यों के मॉनिटरिंग हेतु वन विभाग से कार्मिकों की तैनाती व प्रतिनियुक्ति**

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा में विभिन्न स्तर के सूचनाओं के एकत्रीकरण व भारत सरकार द्वारा चाही जा रही सूचनाओं के विश्लेषण से सम्बन्धित विवरण को तैयार करने की दिशा में

N. Ravi Shankar

इस संस्था में तकनीकी कार्मिक की उपलब्धता नही हैं। अतः समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में प्रबन्धक– विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण के पद (वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600) का सृजन किया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा भी सैद्धांनिक सहमति ली जा चुकी है। अतः उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा में वन विभाग के सांख्यिकीय अधिकारी संवर्ग के श्री के0पी0एस0 चौहान को वर्तमान में उक्त पद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया गया है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–1922/X-2-2012-7(6)/2004 टी.सी. दिनांक 08.01.2012 के बिन्दु सं.–17(1) पर उल्लेख है कि "प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार संचालन समिति नये पदो के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर सकती है" उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू संचालन के लिये प्रबन्धक– विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण के पद (वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600) के सृजन की स्वीकृति के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

उत्तराखण्ड कैम्पा में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक/वित्तीय मामलों के प्रकरण तथा अन्य गतिविधियों के संचालन के दृष्टिगत श्री सुशांत पटनायक, उप वन संरक्षक की तैनाती शासन द्वारा किया गया है। उक्त अधिकारी द्वारा इस संस्था में स्वीकृत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के सापेक्ष कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड कैम्पा से वित्त पोषित विभिन्न वन प्रभागों/अन्य इकाईयों द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के फील्ड स्तरीय मॉनिटरिंग, अनुश्रवण, फीडबैक आदि हेतु वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की तैनाती इस संस्था में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित कार्मिकों द्वारा गढ़वाल मण्डल व कुमांऊ मण्डल में अलग–अलग इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित पद निम्न प्रकार दर्शित है–

(क) सहायक वन संरक्षक–02 पद

(ख) वन क्षेत्राधिकारी/उप वन क्षेत्राधिकारी–04 पद

(ग) वन दरोगा/वन रक्षक–06 पद

उक्त प्रस्तावित कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान वन विभाग के नियमित बजट व्यवस्था से किया जाना उचित होगा। उत्तराखण्ड कैम्पा में वाह्य श्रोत/संविदा से नियुक्त/तैनात कार्मिकों की वेतन भत्ते आदि का भुगतान पूर्व की भांति कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से किया जाना प्रस्तावित है।

संचालन समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

N. Ravi Shankar

कार्यसूची संचालन समिति 9.11: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार :–

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 की संचालन समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा विभिन्न वन प्रभागों को स्वीकृत कार्ययोजना के कन्टीन्जैंसी एवं अन्य मदों में अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। संचालन समिति द्वारा उक्त धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान की गयी।

  (कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की संचालन समिति द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख एवं देहरादून वन प्रभाग को मालसी डियर पार्क में विजिटर पाथ के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 60.00 लाख एवं सिमलास बीट में सड़क निर्माण हेतु ₹ 7.90 लाख की धनराशि, नैनीताल वन प्रभाग को ₹ 50.00 लाख, अल्मोड़ा वन प्रभाग को ₹ 20.00 लाख, ₹ 349.00 लाख वनाग्नि सुरक्षा हेतु, ₹ 3244.88 लाख एवं ₹ 828.86 लाख की धनराशि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचालन समिति द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

  (कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(परमजीत सिंह)	N. Ravi Shankar (एन0 रवि शंकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष– संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

6 पंशील पार्क, चकराता रोड़, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2761077 ई-मेलः ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 207 /13-2(9)/2015-16 दिनांक, देहरादून, 21 जून, 2016

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वित्त मंत्री जी एवं सदस्य-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा. नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः- 207 (1)/13-2(9)/2015-16 दिनांकित।

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव-नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव-वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,, क्षेत्रीय कार्यालय-देहरादून।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः- 207 (2)/13-2(9)/2015-16 दिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा